

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 412]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 7 अक्टूबर 2015—आश्विन 15, शक 1937

लोक सेवा प्रबंधन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 7 अक्टूबर 2015

क्र. एफ 2-13-2012-इकसठ-लोसेप्र-पी.एस.जी.-1.—मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, ऊर्जा विकास विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली सेवाएं, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवाएं प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय-सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय-सीमा तथा द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम निम्नानुसार संशोधित अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत ऊर्जा विकास विभाग की सेवाएं

सेवा क्र.	सेवाएं	पदाभिहित अधिकारी का पदनाम	सेवा प्रदान करने की निश्चित समय-सीमा	प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम	प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गई समय-सीमा	द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.13	कालोनी के बाह्य विद्युतीकरण के प्राक्कलनों की प्रशासकीय अनुमोदन एवं तकनीकी स्वीकृति.	अ. कालोनी का प्रस्तावित भार 10000 के. व्ही.ए. या अधिक होने पर वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री. ब. कालोनी का भार 10000 के.व्ही.ए. से कम होने पर-वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री.	45 कार्य दिवस. 30 कार्य दिवस.	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता	15 कार्य दिवस.	मुख्य अभियंता (कार्य) कार्पोरेट कार्यालय.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.14	बहुउपभोक्ता संकुल (मल्टी यूजर कॉम्प्लेक्स) के बाह्य विद्युतीकरण के प्राक्कलनों की स्वीकृति.	अ. कालोनी का प्रस्तावित भार 10000 के.व्ही.ए. या अधिक होने पर-वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री. ब. कालोनी का भार 10000 के.व्ही.ए. से कम होने पर-वृत्त प्रभारी अधीक्षण यंत्री.	45 कार्य दिवस. 30 कार्य दिवस.	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता	15 कार्य दिवस.	मुख्य अभियंता (कार्य) कार्पोरेट कार्यालय.
1.15	विद्युत अधोसंरचना संबंधित प्राक्कलनों की स्वीकृति.	कार्यपालन यंत्री (संचा/संधा/शहर)	15 कार्य दिवस.	अधीक्षण यंत्री	15 कार्य दिवस.	क्षेत्रीय मुख्य अभियंता.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
हरिरंजन राव, सचिव.